उत्तम जल माने गंगा जल / औषधि जल माने गंगा जल

(पंजीकृत)

# गंगा महासभा

केन्द्रीय कार्यालय : बी. ३७/१२१-ए, अनुराग भवन, 'खन्ना विला', महमूरगंज, वाराणसी-२२१०१०

प्रकृति एवं संस्कृति को समर्पित अखिल भारतीय संगठन

अविरल गंगा
निर्मल गंगा

**संरक्षक**

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जी
जगद्गुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य हंसदेवाचार्य जी
आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि जी

**मार्गदर्शक**

स्वामी ज्ञानस्वरुप (प्रो.जी.डी.अग्रवाल)
न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय
श्री यादव राव देशमुख
श्री के.एन. गोविन्दाचार्य

**अध्यक्ष**

पं. महेश्वरपति त्रिपाठी, विन्ध्याचल

**कार्यकारी अध्यक्ष**

पं० प्रेमस्वरुप पाठक, बदायूँ

**उपाध्यक्ष**

श्री अवधेश कुमार सिंह, कटिहार
प्रो. यू.के. चौधरी, काशी
हाजी मुख्तार अहमद महतो, काशी
श्री श्याम किशोर गुप्ता, नई दिल्ली
श्रीमती सरिता सिंह, इलाहाबाद

**महामंत्री**

आचार्य जीतेन्द्र, काशी

**महामंत्री (संगठन)**

श्री गोविन्द शर्मा, काशी

**मंत्री**

श्री नीरज पाठक, कोलकाता
श्री अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर

**कोषाध्यक्ष**

श्री अखिलेश खेमका, काशी

**सदस्य कार्यकारिणी**

डा. शिवदास पांडेय, मुजफ्फरपुर
डॉ. विश्वनाथ दूबे, काशी
डॉ. असीम कुमार दास, भागलपुर
श्री शंकर प्रसाद साह, साहेबगंज
रावल हरीश सेमवाल, गंगोत्री
श्री धीरज सक्सेना, बदायूँ
इं. गौतम पांडेय, कहलगाँव
डॉ० नवीन मिश्रा

## विज्ञप्ति

**21 नवंबर 2012, नई दिल्ली**

### राष्ट्र ध्वज अधिनियम की तरह राष्ट्र नदी अधिनियम पारित करे संसद

गंगा महासभा और अखिल भारतीय संत समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ''सवधर्म संसद'' में उपस्थित संतो और धर्माचार्यो ने कहा कि गंगा जी एक सामान्य नदी या भौगोलिक इकाई भर नही हैं, वे तो भारतीय संस्कृति की जीवन-प्राण, भारत की शान का प्रतीक और भारत राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पहचान हैं। सभी भारतीयों, भारतीय मूल के अप्रवासियों और भारतीय संस्कृति से जुड़े विदेशियों के मन में भी गंगा जी के प्रति विशेष लगाव और श्रद्धा है। यह बात सर्वमान्य है, इसको भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने कार्यालय के 4 नवंबर 2008 के प्रेस वक्तव्य में स्वीकार किया और इसी आधार पर गंगा जी को राष्ट्र नदी के रूप में घोषित किया गया।

राष्ट्रीय नदी घोषित कर भारत सरकार ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 328 के द्वारा 20 फरवरी 2009 को गंगा जी के प्रबन्धन के निश्चित आयामों हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसीन प्राधिकरण की स्थापना की लेकिन बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक, औद्योगिक, नगरीय तथा भौतिक विकास की लालसा के दबाव के कारण राष्ट्रीय गंगा नदी बेसीन प्राधिकरण गंगा जी को एक राष्ट्रीय प्रतीक, अद्वितीय अस्तित्व तथा सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर सम्मान सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ।

इन दबावों से सक्षम तरीके से तभी निपटा जा सकता है जब भारतीय संसद द्वारा एक स्पष्ट और सुनिश्चित कानून पारित हो। इसका स्वरूप और इसके अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम कि तरह हो।

इस संदर्भ में गंगा महासभा ने न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय जी की अध्यक्षता में देश के शीर्षस्थ न्यायविदों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार किया है। जिसे राष्ट्र नदी गंगा जी (संरक्षण एवं प्रबंधन ) अधिनियम 2012 नाम दिया गया है। हमारा मानना है कि यह प्रस्तावित

निरंतर....2

उत्तम जल माने गंगा जल / औषधि जल माने गंगा जल

(पंजीकृत)

# गंगा महासभा

केन्द्रीय कार्यालय : बी. ३७/१२१-ए, अनुराग भवन, 'खन्ना विला', महमूरगंज, वाराणसी-२२१०१०

प्रकृति एवं संस्कृति को समर्पित अखिल भारतीय संगठन

अविरल गंगा
निर्मल गंगा

**संरक्षक**

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जी
जगद्गुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य हंसदेवाचार्य जी
आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि जी

**मार्गदर्शक**

स्वामी ज्ञानस्वरुप (प्रो.जी.डी.अग्रवाल)
न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय
श्री यादव राव देशमुख
श्री के.एन. गोविन्दाचार्य

**अध्यक्ष**

पं. महेश्वरपति त्रिपाठी, विन्ध्याचल

**कार्यकारी अध्यक्ष**

पं० प्रेमस्वरुप पाठक, बदायूँ

**उपाध्यक्ष**

श्री अवधेश कुमार सिंह, कटिहार
प्रो. यू.के. चौधरी, काशी
हाजी मुख्तार अहमद महतो, काशी
श्री श्याम किशोर गुप्ता, नई दिल्ली
श्रीमती सरिता सिंह, इलाहाबाद

**महामंत्री**

आचार्य जीतेन्द्र, काशी

**महामंत्री (संगठन)**

श्री गोविन्द शर्मा, काशी

**मंत्री**

श्री नीरज पाठक, कोलकाता
श्री अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर

**कोषाध्यक्ष**

श्री अखिलेश खेमका, काशी

**सदस्य कार्यकारिणी**

डॉ. शिवदास पांडेय, मुजफ्फरपुर
डॉ. विश्वनाथ दूबे, काशी
डॉ. असीम कुमार दास, भागलपुर
श्री शंकर प्रसाद साह, साहेबगंज
रावल हरीश सेमवाल, गंगोत्री
श्री धीरज सक्सेना, बदायूँ
इं. गौतम पांडेय, कहलगाँव
डॉ० नवीन मिश्रा

अधिनियम गंगाजी को भारत की राष्ट्र नदी और सांस्कृतिक विरासत के रूप में औपचारिक स्वरूप प्रदान करने राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति अपेक्षित सम्मान, आदर और संरक्षण सुनिश्चित करने और सरकार के प्रत्येक स्तर (केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय) पर नीतियों, योजनाओं, निर्णयों और क्रियान्वयन में गंगा जी के संरक्षण और हित की प्राथमिकता सुनिश्चित करने में सक्षम सिद्ध होगा।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने बताया इस अधिनियम में गंगा जी का भौतिक स्वरूप परिभाषित किया गया है। गंगा जी में कौन-कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित होंगी और कौन-कौन सी गतिविधियाँ सीमित होंगी यह तय किया गया है। गंगा जी में प्रतिबंधित गतिविधियाँ अपराध मानी जाएंगी और उसके लिए दंड का प्रावधान होगा।

गंगा जी से संबंधित नीति निर्धारण के लिए केन्द्र स्तर पर 'राष्ट्रीय नदी गंगा प्राधिकरण' और राज्य स्तर पर 'राज्य गंगा बोर्ड' होंगे।

क्रियान्वयन के लिए केन्द्र स्तर पर 'केन्द्रीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति', गंगा जी की आठ जोनों के लिए 'जोनल निगरानी एवं क्रियान्वयन समितियाँ' और इनके अंतर्गत 'सेक्शनल निगरानी एवं क्रियान्वयन समितियाँ' होंगी। इन समितियों में मंत्रियों, अधिकारियों के साथ-साथ वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, समाजसेवकों और गंगा-भक्तों का समावेश होगा।

हालांकि यह प्रारुप 27, 28 और 29 दिसंबर 2011 के दौरान इलाहाबाद में तैयार कर लिया गया था लेकिन विशेषज्ञों से चर्चा के पश्चात इसे पहली बार 5 नवंबर 2012 को देश के लिए सार्वजनिक किया गया। सर्वधर्म संसद में आज इस प्रारुप पर चर्चा के बाद इसे भारत सरकार को सौंपा जायेगा ताकि यथाशीघ्र भारत की संसद इसे पारित कर दे ताकि गंगाजी संरक्षण सुनिश्चित हो सके और युगों-युगों तक समुचित प्रबंधन हो सके।

भवदीय

गोविन्द शर्मा
राष्ट्रीय संगठन महासचिव
Mob:-09453040969
gangaputragovind@gmail.com